न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी— एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या—414 / 2016

1. सम्पत सिंह पुत्र गुलाब सिंह, जाति राजपूत निवासी टोडी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज0।
2. होशियार सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी टोडी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
3. गुमान सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी टोडी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलान्ट

—बनाम—

① राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
② सुनिल कुमार पुत्र देवकीनंदन जाति महाजन, निवासी गुढा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.8.2016
न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी मु.न. 15 / 2016
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुनिल कुमार वगैरह
अंतर्गत धारा 90 अ व धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:—

1. श्री विद्याधर जाखड़, एडवोकेट————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट————— रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से।
3. श्री विजयपाल एडवोकेट—————रेस्पोडेंट नंबर—2 की ओर से।

— निणर्य— दिनांक—10.07.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.08.2016 मुकदमा नंबर 15 / 2016 बमुकदमा सरकार बनाम सुनिल कुमार वगैरह न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि – श्री दलीप कमार खेदड़ पुत्र श्री धोंकल राम जाति जाट निवासी ग्राम खेदड़ो की ढाणी तन गुढा गौड़जी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया

गया कि ग्राम टोडी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 184 में अवैध निर्माण हो रहा है। उक्त भूमि की किस्म कृषि है तथा भूमि पर बिना रूपान्तरण कराये अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कर भूमि की किस्म परिवर्तन कर राजकोष को घाटा पंहुचाया गया है। अतिकमियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर निर्माण कार्य को ध्वस्थ कराया जाना उचित व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिनकी रिपोर्ट दिनांक 4.7.2016 के अनुसार भूमि खसरा नंबर 184 रकबा 0.02086 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय राजस्व रिकार्ड में सुनिल कुमार पुत्र देवकीनंदन महाजन निवासी गुढा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मौके पर निर्माण कार्य किया गया है। मौके पर गुमान सिंह, होशियर सिंह, सम्पत सिंह पुत्र गुलाब सिंह ने कहा कि उनके पास उक्त भूमि का विकय पत्र है। उक्त भूमि सपरिवर्तित नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 04.07.2016 के अवलोकन से कृषि भूमि का उपयोग बिना सक्षम आदेश के अकृषि प्रयोजनार्थ किया जाना साबित होने पर प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 सपठित 90 अ के तहत दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ताअपना जवाब नोटिस मय प्रारम्भिक आपतियों के प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण को दिये गये नोटिस में मात्र नंबर 184 कृषि भूमि पर पक्का निर्माण बताया है। नोटिस में यह अंकित नहीं किया गया कि उक्त खसरा नंबर किस गांव की सरहद में है। नोटिस में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से विधिवत जवाब दिया जाना संभव नहीं है। होशियार सिंह व सम्पत सिंह ने कितनी भूमि पर कितने वर्ग गज पर निर्माण किया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.7.2016 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें मात्र खसरा नंबर 184 रकबा 0.2086 हैक्टर बारानी द्वितीय अंकित है। मौका रिपोर्ट पटवारी ने अपने कार्यालय में बैठकर तैयार की है, मौके पर अप्रार्थी के घर नहीं गया और न ही रिपोर्ट पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि सम्पत सिंह ने खसरा नंबर 184 रकबा पर पक्का निर्माण किया है, जबकि अप्रार्थीको अपना नोहरा बनाये हुये 25 साल हो चुके हैं। नोहरा ग्राम टोडी के खसरा नंबर 189 आबादी में है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में पक्का निर्माण किस दिशा में तथा कितनी वर्ग गज भूमि पर पक्का मकान व चार दिवारी बनाई है तथा उसकी प्रत्येक गैरसायल कोकब्जे केआधार पर संपरिवर्तन फीस के भुगतान हेतु गैर सायलान को नोटिस दिया जाना चाहिए था। न्यायालय द्वारा बिना विधिवत प्रकिया अपनाये अप्रार्थी के खिलाफ गलत कार्यवाही की है जो खारिज योग्य है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का विधि विरूद्ध बनाई गई है। गैर सायल को नाजायज हैरान व परेशान करने के लिए गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है। अतः नोटिस धारा 90 अ सपठित धारा 91 एल0आर0एक्ट को अपास्त फरमाया जाये। जिस पर दिनांक 10.08.2016 को नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी ने हस्तगत निर्णय पारित कर अपीलांट को ग्राम टोडी स्थित भूमि खसरा नंबर 184 रकबा 0.

2086 हैक्टर कृषि भूमि को बिना सक्षम अनुज्ञा के अकृषि उपयोग में लिया जाकर पुख्ता निर्माण किया जाना साबित होने पर इनको भू राजस्व अधि0 की धारा 90 क के अनुसार धारा 91 भू राजस्व अधि0 के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 184 व 189 में व इसके आस–पास काफी पुरानी आबादी हो रखी है। भूमि की प्रकृति आबादी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अगर काश्त की भूमि के अकाश्त में परिवर्तित होना माना है तो उन्हें धारा 177 रा.रा0अ0 के तहत एसडीओ उदयपरुवाटी के यहां आवेदन करना चाहिए था जो न करके राजनैतिक दबाव में कुछ लोगों को नाजायज फायदा पंहुचने के लिए उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही की है जो निरस्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय को कृषि भूमि कके उपयोग को अकृषि प्रयोजन में लेने के लिए भूमि को रूपांतरित करके उसका चार्ज लेकर निर्माण को नियमित करना चाहिए था। अपीलांट रिकार्डेड काश्तकार है, अतिकमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाही पूर्वागृह से ग्रसित होकर राजनैतिक दबाव से की है जो खारिज होने लायक है। अपीलांट का निर्माण 25–30 साल पुराना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.08.2016 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थीगण ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – खसरा नंबर 184 व 189 में व इसके आस–पास काफी पुरानी आबादी हो रखी है। भूमि की प्रकृति आबादी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अगर काश्त की भूमि के अकाश्त में परिवर्तित होना माना है तो उन्हें धारा 177 रा.रा0अ0 के तहत एसडीओ उदयपरुवाटी के यहां आवेदन करना चाहिए था जो न करके राजनैतिक दबाव में कुछ लोगों को नाजायज फायदा पंहुचने के लिए उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही की है जो निरस्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय को कृषि भूमि कके उपयोग को अकृषि प्रयोजन में लेने के लिए भूमि को रूपांतरित करके उसका चार्ज लेकर निर्माण को नियमित करना चाहिए था। अपीलांट रिकार्डेड काश्तकार है, अतिकमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाही पूर्वागृह से ग्रसित होकर राजनैतिक दबाव से की है जो खारिज होने लायक है। अपीलांटस का निर्माण 25–30 साल पुराना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। हल्का पटवारी ने वादग्रस्त भूमि का बिना मौका देख अपने कार्यालय में बैठकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में पक्का निर्माण किस दिशा में तथा कितनी वर्ग गज भूमि पर है पक्के मकान व चार दिवारी बनाई है अंकित नहीं किया गया है । प्रत्येक गैरसायल को कब्जे के आधार पर संपरिवर्तन फीस के भुगतान हेतु गैर सायलान को नोटिस दिया जाना चाहिए था। न्यायालय द्वारा बिना विधिवत प्रकिया अपनाये अप्रार्थी के खिलाफ गलत कार्यवाही की है जो खारिज योग्य है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का विधि विरूद्ध बनाई गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 10.08.2016 निरस्त किया जाये।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी ने अपीलांट द्वारा ग्राम टोडी स्थित भूमि खसरा नंबर 184 रकबा 0.2086 हैक्टर कृषि भूमि को बिना सक्षम अनुज्ञा के अकृषि उपयोग में लिया जाकर पुख्ता निर्माण किया जाना साबित होने पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर भू राजस्व अधि0 की धारा 90 क के अनुसार धारा 91 भू राजस्व अधि0 के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी ग्राम दूड़िया की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम टोडी स्थित भूमि खसरा नंबर 184 रकबा 0.02086 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय राजस्व रिकार्ड में सुनिल कुमार पुत्र देवकीनंदन महाजन निवासी गुढा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। तथा मौके पर अपीलांट गुमानसिंह, होश्यिार सिंह व सम्पत सिंह पुत्र गुलाब सिंह द्वारा कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अवैध पक्का निर्माण कार्य किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं अपील में उक्त अवैध निर्माण के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनके द्वारा किये गये निर्माण को वैध ठहराया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.8.2016 के अनुसार अधीनस्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.8.2016 की पालना में वादग्रस्त भूमि से मौके से अवैध निर्माण को ध्वास्त किया जाकर अपीलांट/अप्रार्थीगण को मौके से बेदखल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी का निर्णय दिनांक 10.08.2016 मुकदमा संख्या 15/2016 सरकार बनाम सुनिल कुमार वगैरा यथावत जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाय । गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू